रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09092026-276094
SG-DL-E-09092026-276094

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265]	दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2026/भाद्र 17, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 204
No. 265]	DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948	[N. C. T. D. No. 204

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग

(पुरातत्व विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 7 सितम्बर, 2026

फा. सं. पुरा0/15/26-उप-निदे0(पुरातत्व)-पुरातत्व विभाग/878.— मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित दिनांक 29.06.2026 की मंत्रिमंडल निर्णय संख्या 3345 के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद द्वारा पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "**दिल्ली मुख्यमंत्री विरासत नवोथान योजना**" राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्मारकों के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों के लिए न्यास/गैर सरकारी संगठन/फाउंडेशन/संस्थानों को सहायता अनुदान योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदन प्रदान करते हैं।

1. संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ:

i. इस योजना को "**दिल्ली मुख्यमंत्री विरासत नवोथान योजना"** के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के स्मारकों के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों के लिए **न्यास/गैर सरकारी संगठन/फाउंडेशन/संस्थानों को सहायता अनुदान " योजना** कहा जाएगा।

ii. यह योजना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

2. योजना का कार्यक्षेत्र :

i. इस योजना के अंतर्गत, पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों, न्यासों, फाउंडेशनों और संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ii. यह सहायता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के स्मारकों का संरक्षण, जीर्णोद्धार और विकास हेतु प्रदान की जाएगी ।

3. सहायता के लिए पात्र संस्थानों/संगठनों के प्रकार:

राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन/न्यास/फाउंडेशन, शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, सरकार के स्वायत्त निकाय (केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के) आदि। स्वैच्छिक संगठनों/न्यास/फाउंडेशन, शैक्षणिक संस्थानों का पंजीकरण भारत सरकार के दर्पण पोर्टल पर अनिवार्य है।

4. वित्तीय सहायता की सीमा:

i. यह वित्तीय सहायता गैर-आवर्ती स्वरूप की होगी:

- यह 75:25 के अनुपात में होगा अर्थात किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परियोजना/प्रस्ताव के लिए 75% विभाग अनुदान हिस्सा और 25% संस्थान का मिलान हिस्सा होगा।
- महत्वपूर्ण कार्यों (पुरातत्व विभाग के श्रेणी ए स्मारक) के मामले में, वित्तीय सहायता 90:10 के अनुपात में होगी, अर्थात् 90% विभाग का अनुदान हिस्सा और 10% संस्थान का मिलान हिस्सा होगा।
- सरकारी संस्थानों के मामले में, विभाग इस योजना के अंतर्गत आने वाली परियोजना का 100% व्यय वहन करेगा।
- अधिकतम सीमा: प्रति परियोजना/प्रति वित्तीय वर्ष 2.00 करोड़ रुपये (अधिकतम सीमा को "सिफारिश समिति" की सिफारिश पर आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि संरक्षण कार्य स्मारक से स्मारक में भिन्न हो सकता है, उदाहरण के लिए अजीमगंज की सराय, राष्ट्रीय चिड़ियाघर के अंदर (संरक्षित स्मारक) और सरदार पटेल मार्ग पर मालचा महल (असंरक्षित) आदि के लिए अन्य की तुलना में अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है, जिसके लिए बजट को तदनुसार बढ़ाया जा सकता है)।
- एक स्वैच्छिक संगठन एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही परियोजना प्रस्तुत कर सकता है।

ii. इस योजना के अन्तर्गत अनुदान देने पर विचार करते समय, उसी परियोजना के लिए अन्य स्रोतों से प्राप्त या प्राप्त होने की संभावना वाले अनुदानों को ध्यान में रखा जाएगा।

5. आवेदन जमा करने की प्रक्रिया:

संस्था को अनुदान हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से, दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग के निदेशक के नाम से जारी वित्तीय सहायता पोर्टल के माध्यम से जमा करना चाहिए। यह आवेदन पत्र समाचार पत्रों और पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापन के प्रतिउत्तर में प्रस्तुत किया

जाना चाहिए। विश्वविद्यालय (मानित विश्वविद्यालयों सहित)/ सरकारी/ स्वायत्त संस्थाएं अपने आवेदन सीधे रजिस्ट्रार/ विभागाध्यक्ष के माध्यम से जमा कर सकती हैं।

अपूर्ण आवेदन या निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज:

i. एक परियोजना रिपोर्ट जिसमें वित्तीय सहायता के लिए मांगे गए प्रस्ताव का विवरण हो, साथ ही अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए या नियुक्त किए जाने वाले विशेषज्ञों की योग्यता और अनुभव का भी उल्लेख हो।

ii. प्रस्ताव के साथ-साथ आवेदक एजेंसी को एक संक्षिप्त अवधारणा योजना प्रस्तुत करनी होगी जिसमें प्रस्तावित सार्वजनिक उपयोग, आगंतुक प्रबंधन, विरासत व्याख्या और अपेक्षित पर्यटन/सामुदायिक लाभों को दर्शाया गया हो।

iii. परियोजना का वित्तीय विवरण जिसमें गैर-आवर्ती व्यय का मदवार विवरण और अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा मिलान भाग की पूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले स्रोत का उल्लेख हो।

iv. विचाराधीन परियोजना के लिए प्राप्त अनुदान, प्रस्तावित अनुदान या अन्य निकायों, जैसे विश्वविद्यालयों, केंद्र/राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों/अर्ध-सरकारी संस्थानों से किए गए अनुरोधों से संबंधित जानकारी। इन निकायों द्वारा ऐसे अनुरोधों पर लिए गए निर्णय की सूचना निदेशक, पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दी जानी चाहिए।

v. उस स्मारक/विरासत का नाम जिसके लिए अनुदान का अनुरोध किया गया है।

vi. संगठन का वैध और सुपाठ्य पंजीकरण प्रमाण पत्र (जहां भी लागू हो) या इसके मूल का अन्य प्रमाण।

vii. संगठन के प्रबंधन बोर्ड का गठन और प्रत्येक सदस्य का विवरण।

viii. पिछले 3 वर्षों के लेखापरीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट की प्रति।

ix. संस्था/संगठन की पिछले तीन वर्षों की कुल प्राप्तियों और व्यय का विवरण और चार्टर्ड अकाउंटेंट या सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित पिछले वर्ष के तुलन पत्र की एक प्रति।

6. अनुदान स्वीकृत करने की प्रक्रिया:

i. पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार समाचार पत्रों और वेबसाइट में प्रकाशित विज्ञापन के प्रतिउत्तर में योजना के अन्तर्गत प्राप्त सभी प्रस्ताव/आवेदन अनुमोदन के विचारार्थ अनुशंसा समिति के समक्ष रखे जाएंगे।

ii. यदि विभाग को एक ही स्मारक के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो समिति परियोजना की एल-1 दरों के आधार पर सिफारिश पर विचार करेगी।

7. नियम और शर्तें:

i. वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्था/संगठन निगरानी समिति के निरीक्षण के लिए खुली रहेगी। निगरानी समिति अपनी अनुशंसाएं सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रस्तुत करेगी। सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए योजना के संचालन संबंधी भाग में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

योजना के परिचालन भाग में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:.

- आवेदक से अतिरिक्त/आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए योजना के विभिन्न प्रपत्रों/प्रोफॉर्मा में संशोधन करना।
- अनुदान जारी करने, प्रगति की निगरानी करने, मामलों का निपटारा करने आदि से संबंधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुशंसा समिति के प्रस्तावों, निर्देशों/अधिनियमन आदि को लागू करने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय।
- योजना के कुशल कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए तकनीकी प्रगति के अनुरूप आवेदन जमा करने, अनुदान जारी करने, प्रगति की निगरानी करने, मामलों के निपटान आदि के तरीके में परिवर्तन अपनाए जाएंगे।

ii. परियोजना के खाते विधिवत और अलग से रखे जाएंगे और आवश्यकतानुसार प्रस्तुत किए जाएंगे। निगरानी समिति द्वारा इनकी जांच की जा सकेगी। साथ ही, सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और दिल्ली सरकार के लेखापरीक्षा निदेशालय के एल्फा (ईएलएफए) द्वारा इनकी लेखापरीक्षा की जा सकेगी।

iii. संस्था को सरकारी अनुदान से पूर्णतः या काफी हद तक अर्जित सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना होगा। दिल्ली सरकार से पूर्व अनुमति के बिना ऐसी संपत्तियों का निपटान, गिरवी रखना या उपयोग उन उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा जिनके लिए अनुदान दिया गया था। यदि किसी भी समय संस्था का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो ऐसी संपत्तियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को वापस मिल जाएंगी।

iv. जब दिल्ली सरकार को यह मानने का कारण हो कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है, तो दिल्ली सरकार को संस्था को पहले से दी गई धनराशि को अनुदान जारी होने की तिथि से 10% प्रति वर्ष के दंडात्मक ब्याज सहित वसूल करने का अधिकार है। माननीय प्रभारी मंत्री (कला, संस्कृति एवं भाषा) की पूर्व स्वीकृति के बिना अनुदान की कोई भी किस्त जारी नहीं की जाएगी।

v. वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्था की गतिविधियाँ धर्म, जाति, नस्ल, भाषा के भेदभाव के बिना भारत के सभी नागरिकों के लिए खुली होनी चाहिए।

vi. संस्था को स्वीकृत परियोजना के क्रियान्वयन में उचित मितव्ययिता बरतनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुरातत्व विभाग से प्राप्त वित्तीय सहायता से कोई भी पद (स्थायी/अस्थायी) सृजित न किया जाए।

vii. संस्था, निदेशक, पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को परियोजना की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसमें अनुमोदित परियोजना के प्रत्येक मद के संबंध में भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों का विस्तृत विवरण दिया जाएगा। ये रिपोर्टें तब तक प्रस्तुत की जाती रहेंगी जब तक कि परियोजना दिल्ली सरकार की संतुष्टि के अनुरूप पूरी नहीं हो जाती।

viii. यदि निदेशक, पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रगति रिपोर्ट में शामिल न किए गए किसी बिंदु पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, तो संस्थान को निर्धारित समय के भीतर वह स्पष्टीकरण प्रदान करना होगा, अन्यथा सरकार को संस्थान को पहले से दिए गए अनुदान को वापस लेने का अधिकार होगा।

ix. अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था, निदेशक, पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को, चार्टर्ड अकाउंटेंट (अपनी पसंद के) द्वारा प्रमाणित लेखा-जोखा और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी (जीएफआर, 2017 के नियम 236(3) के अनुसार)। उपयोगिता प्रमाण पत्र में जीएफआर 12-ए प्रपत्र में स्वीकृत अनुदान के वास्तविक उपयोग को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह महीनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था से निर्धारित समय के भीतर ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो निदेशक, पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भविष्य में सरकार से किसी भी प्रकार के अनुदान, सब्सिडी या अन्य वित्तीय सहायता से ऐसी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार होगा और वे इस जानकारी को दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग की वेबसाइट पर भी प्रकाशित करेंगे (जीएफआर, 2017 के नियम 230(1) के अनुसार)।

x. अनुदान में से बची हुई कोई भी राशि सरकार को वापस कर दी जानी चाहिए। अनुदान प्राप्तकर्ता, पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के डीडीओ के पक्ष में अनुदान राशि के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह प्रमाणित होगा कि वह अनुदान की शर्तों और नियमों का पालन करेगा। बॉन्ड का उल्लंघन करने पर, अनुदान प्राप्तकर्ता और/या जमानतदार व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से, बॉन्ड में निर्दिष्ट राशियों पर ब्याज सहित अनुदान की पूरी राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसे मामले में लगाया जाने वाला ब्याज, वापस की जाने वाली अनुदान राशि का 10% प्रति वर्ष होगा। वापस की जाने वाली ऐसी शेष राशि, "डीडीओ, पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार" के पक्ष में जारी किए गए बैंक डिमांड ड्राफ्ट के रूप में होगी।

xi. अनुदान के भुगतान से सरकार की ओर से आगे अनुदान स्वीकृत करने की कोई प्रतिबद्धता नहीं होती है।

xii. इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना के लिए नियुक्त किए जाने वाले विशेषज्ञों को किया जाने वाला भुगतान केवल मानदेय/पारिश्रमिक/बैठक शुल्क के रूप में ही स्वीकार्य होगा।

xiii. सरकार समय-समय पर ऐसी अन्य शर्तें भी लगा सकती है।

xiv. अनुदान राशि निम्नलिखित अनुसार किश्तों में जारी की जाएगी:

किश्तों	**विभाग द्वारा जारी अनुदान का हिस्सा**	**निगरानी समिति की सिफारिश पर जारी होने के चरण**
"कार्य प्रारंभ हेतु अग्रिम राशि के रूप में प्रथम किस्त"	30%	वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार" से व्यय स्वीकृति प्राप्त होने पर
दूसरी किस्त	30%	प्रदर्शन से संबंधित 30% कार्य पूर्णता
तीसरी किस्त	30%	प्रदर्शन से संबंधित 60% कार्य पूर्णता
चौथी और अंतिम किस्त	10%	कार्य निष्पादन से संबंधित 90% कार्य पूर्णता के साथ-साथ संपूर्ण अनुदान और कुल परियोजना लागत में उनके संबंधित पूर्ण मिलान हिस्से के लिए विधिवत लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

xv. किसी भी संस्था (स्वैच्छिक संगठन) को कोई भी नया अनुदान तब तक अनुशंसित/स्वीकृत/जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि प्राप्त पिछले अनुदानों के उपयोग प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का अंतिम निपटान नहीं हो जाता।

xvi. एजेंसी द्वारा अनुदान का उपयोग अनुमोदित योजना/उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।

xvii. अनुदान राशि का उपयोग किसी भी ऐसी नई योजना/मद के लिए नहीं किया जाना चाहिए जिसके लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न हो। असाधारण परिस्थितियों में, अनुदान प्राप्तकर्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर, अनुदान समिति के अध्यक्ष अनुदान या उसके किसी भाग का उपयोग उन उद्देश्यों/मदों के लिए करने की अनुमति दे सकते हैं जिनके लिए मूल रूप से अनुदान दिया गया था, लेकिन जो योजना के समग्र दायरे और उद्देश्य के अंतर्गत आते हों।

xviii. अनुदान से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में, अंतिम निर्णय सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के के पास होगा। योजना से उत्पन्न किसी भी विवाद का क्षेत्राधिकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होगा।

xix. इस योजना की निगरानी सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की पूर्व सहमति से गठित विशेषज्ञों की निगरानी समिति द्वारा की जाएगी।

xx. प्रस्तावित परियोजना के लिए संगठनों, न्यासों, फाउंडेशनों और संस्थानों द्वारा संबंधित सरकारी एजेंसियों/विभागों/हितधारकों से सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की जाएंगी।

8. अपीलीय प्राधिकरण:

शिकायत की स्थिति में, आवेदक इस संबंध में शिकायत के निवारण के लिए सचिव, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अपील कर सकता है और सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) का निर्णय अंतिम होगा।

यह सचिव, मंत्रिमंडल के दिनांक 29.06.2026 के पत्र संख्या फा0 53/822/सा0प्र0वि0/ समन्वय/ 2026/682-691 माध्यम से परिचालित मंत्रिमंडल निर्णय संख्या 3345 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

डॉ. के. महेश, आईएएस सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

DEPARTMENT OF ART, CULTURE & LANGUAGES

(DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY)

NOTIFICATION

Delhi, the 7th September, 2026

F. No. Archy/15/26-Dy.Dir.(Arch)-Arch Dept. 878.— In pursuance of the Cabinet Decision No. 3345 dated 29.06.2026 approved by the Council of Ministers, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to approve the implementation of scheme of "**Grant-In-Aid to Trust / NGO/ Foundation / Institutions for Conservation, Restoration & Development works of Monuments of GNCTD under "दिल्ली मुख्यमंत्री विरासत नवोत्थान योजना"** in Department of Archaeology, GNCTD.

1. **Short title and Commencement:**

   i. The scheme will be called as **"Grant-In-Aid to Trust / NGO/ Foundation / Institutions for Conservation, Restoration & Development works of Monuments of GNCTD under "दिल्ली मुख्यमंत्री विरासत नवोत्थान योजना"**.

   ii. The scheme shall come into force from date of publication in the Official Gazette.

2. **Scope of the Scheme:**

   i. Under the Scheme, financial assistance is meant for registered voluntary Organizations, Trusts, Foundations & Institutions.

   ii. The assistance would be provided for Conservation, Restoration & Development of Monuments of Government of NCT of Delhi.

3. **Types of Institutions/Organizations Eligible for Assistance:**

   National/State level registered voluntary Organizations/ Trusts/ Foundation, Educational Institutions, Universities, Deemed Universities, Autonomous Bodies of the Government (Central as well as States/Union Territories) etc. Registration of voluntary Organizations/ Trusts/ Foundations/ Educational Institutions is mandatory on Darpan portal of Government of India.

4. **Extent of Financial Assistance:**

   i. The Financial Assistance will be of a non-recurring nature:

      - It will be in the ratio of 75:25 i.e.75% Department grant share and 25% Institution's matching share for each project/ proposal in a given financial year.
      - In case of important work (Category 'A' Monuments of Department of Archaeology), the financial assistance will be in the ratio of 90:10 i.e. 90% Department grant share and 10% institution's matching share.
      - In the case of Government Institution, the Department will bear 100% expenditure of a project covered under the scheme.
      - Maximum limit : Rs. 2.00 Crore per project / per financial year (maximum limit may be enhanced on recommendation of "Recommendation Committee" on need basis, as the conservation work may vary from monument to monument e.g. Sarai of Azimganj, inside National Zoological Park (Protected Monuments) and Malcha Mahal at Sardar Patel Marg(Not protected) etc. require more funds allocation than others accordingly for which Bugdet may be enhanced).
      - A voluntary Organization can submit only one project in one financial year.

   ii. The grant under the scheme will be considered after taking into the consideration of the grant received or likely to be received from other sources for the same project.

5. **Procedure for Submission of Application:**

   The Organization should submit their Application Form for grant in online mode through a Portal for financial assistance in the name of Director, Department of Archaeology, Government of NCT of Delhi in response to advertisement published in newspapers and on the website of Department of Archaeology, GNCTD. Universities (including Deemed Universities)/ Government/ Autonomous Institution may submit their applications directly through the Registrar / Head of Department. Incomplete or applications received after the prescribed date will not be considered.

   Documents required to be submitted, along with the application:

   i. A project report indicating the proposal for which the financial assistance is sought, along with the qualifications and experience of the experts engaged or proposed to be engaged on contract basis.

   ii. Along with the proposal applicant agency will have to submit a brief concept plan indicating proposed public use, visitor management, heritage interpretation and expected tourism/ community benefits.

   iii. Financial statement of the project giving item-wise details of non-recurring expenditure and source from which grantee will meet the matching share.

iv. Information relating to the grant received, promised or the requests thereof made, if any, to other bodies, e.g. Universities, Central/State Governments Local Bodies/Quasi-Government Institutions for the project under the consideration. The decision of these Bodies on such request should be communicated to the Director, Department of Archaeology, GNCTD

v. Name of the monument/ heritage for which grant is requested.

vi. Valid and legible registration certificate of the Organization (wherever applicable) or other proof of its origin.

vii. Constitution of the Board of Management of the Organization and the particulars of each Member.

viii. Copy of the last 03 Years Audit and Annual Report.

ix. A statement of full receipts and expenditure of the Institution/Organization for the previous three years and a copy of the balance sheet for the previous year certified by a Chartered Accountant or Government Auditor.

6. **Procedure for Approving Grants:**

i. All the proposals/applications received under the Scheme in response to the advertisement published in newspapers and in the website of Department of Archaeology, GNCTD will be placed before the Recommendation Committee for consideration for approval.

ii. In case Department in receipt of multiple Applications for the same monument, the Committee will consider the recommendation on the basis of L-1 rates of the project.

7. **Terms and Conditions:**

i. The Institution/Organization in receipt of financial assistance shall be open to inspection by the Monitoring Committee. The Monitoring Committee shall submit its recommendation to the Secretary (ACL), Government of NCT of Delhi. Secretary (ACL), GNCTD shall have powers to affect changes in the operational part of the scheme in order to meet any exigency.

The operational part of the scheme may include.

- Revision of various forms/proforma of the scheme to elicit additional/ requisite information from an applicant.
- Measures to be adopted to implement proposal of the Recommendation Committee directives/enactments etc., of the Government of NCT of Delhi, issued from time to time pertaining to release of grant, monitoring of progress, settlement of cases etc.
- Changes to be adopted in the mode of submission of application, release of grant, monitoring of progress, settlement of cases etc., to keep pace with technological advancements in order to facilitate efficient implementation of the scheme.

ii. The accounts of the project shall be maintained properly and separately and submitted as and when required. They shall always be open to check by the Monitoring Committee. They shall also be open to audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (Duties, Power and Condition of Service) Act, 1971 and the ELFA, Dte. of Audit, Government of NCT of Delhi.

iii. The Institution shall maintain a record of all assets acquired wholly or substantially out of the Government grant. Such assets shall not be disposed off, encumbered or utilized for purposes other than those for which the grant was given without the prior sanction of the Government of NCT of Delhi. Should the Institution cease to exist at any time, such properties shall revert to the Government of NCT of Delhi.

iv. When the Government of NCT of Delhi have reasons to believe that the sanctioned money is not being utilized for the approved purpose, the Delhi Government has the right to recover the grant already given to the Institution alongwith 10% penal interest per annum from the date of release of grant. No installment of grant shall be released without the prior approval of Hon'ble Minister Incharge (ACL).

v. The activities of the Institution who receive the financial assistance must be open to all citizens of India without distinction of religion, race, caste, language.

vi. The Institution must exercise reasonable economy in the working of approved project. It may be ensured that no post/s (permanent/temporary) are to be created out of the financial assistance received from Department of Archaeology.

vii. The Institution shall furnish to the Director, Department of Archaeology, Government of NCT of Delhi, a quarterly progress report of the project, indicating in detail both the physical and financial achievement in respect of the each item of the approved project. Such reports shall continue to be furnished until the project is completed to the satisfaction of the Government of NCT of Delhi.

viii. If the Director, Department of Archaeology, Government of NCT of Delhi requires clarification on any point not contained in the progress report, the Institution shall supply it within the time specified failing which the Government will have a right to recover the grant already given to the Institution.

ix. The grantee will furnish to the Director, Department of Archaeology, Government of NCT of Delhi, the audited accounts and utilization certificate from a Chartered Accountant (of its own choice) (as per Rule 236(3) of GFR, 2017). The utilization certificate should clearly indicate the actual utilization for the grants received for the purpose for which it was sanctioned in Form GFR 12-A. The utilization certificate should be submitted within the twelve months of the closure of the financial year by the Institution concerned. Where such certificates is not received from the grantee within the prescribed time, the Director, Department of Archaeology, Government of NCT of Delhi will be at the liberty to black-list such Institution from any future grant, subsidy or other type of financial support from the Government and would also put this information on the website of the Department of Archaeology, Government of NCT of Delhi (as per Rule 230 (1) of GFR, 2017).

x. Any amount remaining unspent out of the grant should be refunded to the Government. The Grantee will furnish a Bank Guarantee in favour of the *"DDO, Department of Archaeology, Government of NCT of Delhi"*, equal to the amount of Grant to the effect that they will abide by the terms and conditions of the grant. On committing breach of the Bond, the grantee and/or the sureties individually and jointly will be liable to refund the entire amount of grant with interest on the sums specified under the Bond. The rate of interest to be charged in such a case will be 10% per annum of the grant-in-aid ordered to be refunded. Such unspent balance amount to be refunded in the form of Bank Demand Draft drawn in favour of the *"DDO, Department of Archaeology, Government of NCT of Delhi"*.

xi. Payment of the grant does not carry any commitment on the part of the Government for sanction of further grants.

xii. The payment to the experts proposed to be engaged for the project, sanctioned under this scheme, would be admissible in the form of honorarium/ remuneration/Sitting Fee only.

xiii. Such other conditions may be imposed by the Government from time to time.

xiv. Grants will be released in installments as under:

INSTALLMENTS	**Department Grant Share to be Released**	**Stages of Release on the recommendation of Monitoring Committee**
1st Installment as Mobilization Advance	30%	On receipt of expenditure sanction from Finance Department, GNCTD
2nd Installment	30%	Performance linked 30% work completion
3rd Installment	30%	Performance linked 60% work completion
4th& Final Installment	10%	Performance linked 90% work completion along with submission of duly audited Utilization Certificate for entire grant and their full respective matching share of the total project cost.

xv. No fresh grant will be recommended/sanctioned/released to any Institution (voluntary Organization) unless the utilization certificate(s) and other necessary documents of the previous grant(s) received, have been finally settled.

xvi. Grant can't be utilized by the agency for the purpose other than the approved scheme / purpose.

xvii. No funds out of the grant should be utilized for any new scheme/items for which prior approval of Government has not been obtained. In exceptional circumstances, upon receipt of a request from a

grantee, the Chairperson, Grants Committee, may permit utilization of the grant or part thereof for purpose(s)/item(s) other than the one(s) for which the grant was originally made, but falling within the overall scope and objective of the scheme.

xviii. In case of any dispute pertaining to the grant, final decision shall rest with the Secretary (ACL), Government of NCT of Delhi. The jurisdiction of any dispute arising out of the scheme will be in the National Capital Territory of Delhi.

xix. The scheme will be monitored by the Monitoring Committee of Experts constituted with prior of the Secretary (ACL), GNCTD.

xx. All necessary permissions from concerned Govt. Agencies / Departments / Stake holders shall be taken by the Organizations, Trusts, Foundations & Institutions for the proposed project.

8. **Appellate Authority**:

In case of Grievances, the applicant may appeal to the Secretary, Art, Culture & Language Department, Government of NCT of Delhi for redressal of grievance in this regard and the decision of the Secretary (ACL) shall be final.

This issues in pursuance of Cabinet Decision No. 3345 circulated vide letter No. F53/822/GAD/CN/2026/682-691 dated: 29.06.2026 of the Secretary to the Cabinet.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

DR. K. MAHESH, IAS Secy (Art, Culture & Languages)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER KUMAR Digitally signed by RAVINDER KUMAR
Date: 2026.09.09 22:21:20 +05'30'